राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग

क्रमांक प. 1 (62) कार्मिक/क–3/जाँच/2022 जयपुर, दिनाक 13 APR 2022

आदेश

श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला, झून्झुनू के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ, जिला झून्झुनू को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ, जिला झून्झुनू का निलम्बन काल में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
13/04/22
(कैलाश चन्द्र कुमावत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग को श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस. (निलम्बित) के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस. (निलम्बित) को तामील कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस. (निलम्बित) को निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में भी उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे अपना मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नही छोडे। श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस. (निलम्बित) को निलम्बन अवधि में उनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5. जिला कलक्टर, झुन्झुनू को उनके पत्र क्रमांक 382 दिनांक 12.04.2022 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस. (निलम्बित) के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 एवं 19.05.2016 के अनुरूप अनुशासनिक कार्यवाही के परिपूर्ण प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत प्रशासनिक विभाग के माध्यम से शीघ्र इस विभााग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
6. शासन संयुक्त सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस. (निलम्बित) के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 एवं 19.05.2016 के अनुरूप अनुशासनिक कार्यवाही के परिपूर्ण प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।।
7. श्री दीपांशु सागवान, आर.ए.एस. (निलम्बित) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हे यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नही छोडे।

   द्वारा:– शासन संयुक्त सचिव
   कार्मिक (क–4/1) विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
9. शासन सहायक सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

13/04/22
शासन उप सचिव